अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवदेन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) का यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार की चयन की गई स्कीमों, विभागों इत्यादि की निष्पादन/सैद्धांतिक लेखापरीक्षा सहित सामाजिक क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र में विभागों तथा स्वायत्त निकायों के संपादनों की अनुपालना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामलों से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन का प्रमुख उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम राज्य विधान-मण्डल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षण मानक अपेक्षा करते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए विषयी स्तर, संपादनों की प्रकृति, मात्रा तथा महत्ता के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यकारियों को सुधारात्मक कार्रवाइयां करने के साथ नीतियां एवं निर्देश तैयार करने के लिए सक्षम बनाने की प्रत्याशा की जाती है जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार राज्य के बेहतर अभिशासन की ओर योगदान देते हुए संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबन्धन होंगे।

अनुपालना लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षित सत्ताओं के व्यय प्राप्तियों, परिसंपत्तियों तथा देयताओं से संबंधित संपादनों की जांच की ओर संकेत करती है कि भारत के संविधान के प्रावधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों एवं अनुदेशों की अनुपालना की जा रही है।

निष्पादन लेखापरीक्षा, उस सीमा का एक स्वतंत्र मूल्यांकन अथवा जांच है जहां तक एक संगठन, कार्यक्रम अथवा स्कीम मितव्ययिता, दक्षता एवं कारगरता से परिचालन करती है। इस प्रतिवेदन के अध्याय-2 में निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं। अध्याय-3 में विषयपरक लेखापरीक्षा अनुच्छेद सम्मिलित हैं। अध्याय-4 में सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों में लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं। अध्याय-5 तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा के कार्यचालन का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों का प्रोफाइल

राज्य में सचिवालय स्तर पर मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिवों तथा प्रधान सचिवों/आयुक्तों एवं सचिवों, जो विशेष सचिवों/अतिरिक्त सचिवों/निदेशकों तथा उनके अधीन अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता-प्राप्त हैं, की अध्यक्षता वाले कुल 56 विभाग हैं। सरकार द्वारा भरपूर निधिबद्ध 49 स्वायत्त निकायों तथा 207 अन्य स्वायत्त निकायों सहित 6,127 लेखापरीक्षा इकाईयां हैं, जिनकी लेखापरीक्षा सी.ए.जी. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के लेखापरीक्षा

अधिकार-क्षेत्र अधीन है। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आईज) के अंतर्गत 21 जिला परिषदें (जेड.पीज), 119 पंचायत समितियां (पी.एसज) और 6,155 ग्राम पंचायतें (जी.पीज) क्रियाशील थी, जिनमें से पांच जेड.पीज, 27 पी.एसज और 374 जी.पीज के वर्ष 2008-11 के अभिलेखों की नमूना-जांच वर्ष 2011-12 के दौरान की गई थी। शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बीज) के अंतर्गत नौ नगर निगम, 14 नगर परिषदें तथा 53 नगरपालिकाएं थी। वर्ष 2011-12 के दौरान 28 यू.एल.बीज (तीन नगर निगमों, सात नगर परिषदों तथा 18 नगरपालिकाओं) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई थी।

1.3 राज्य सरकार का व्यय प्रोफाइल

वर्ष 2011-12 के दौरान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे **तालिका 1** में दी गई है।

तालिका 1: 2007-12 की अवधि के लिए व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
	योजना	योजनेत्तर	कुल	योजना	योजनेत्तर	कुल	योजना	योजनेत्तर	कुल	योजना	योजनेत्तर	कुल	योजना	योजनेत्तर	कुल
राजस्व व्यय															
सामान्य सेवाएं	41.63	5,188.05	5,229.68	54.16	5,970.31	6,024.47	68.02	7,687.33	7,755.35	65.84	9,262.30	9,328.14	64.36	10,155.47	10,219.83
सामाजिक सेवाएं	2,212.13	3,526.54	5,738.67	2,662.19	4,596.54	7,258.73	4,014.59	5,887.63	9,902.22	4,329.69	6,574.39	10,904.08	5,549.13	7,092.54	12,641.67
आर्थिक सेवाएं	921.75	5,300.13	6,221.88	1,201.56	5,834.19	7,035.75	1,632.16	5,897.75	7,529.91	1,855.98	6,140.75	7,996.73	2,178.50	6,875.47	9,053.97
सहायता अनुदान एवं अंशदान	–	336.64	336.64	–	215.78	215.78	-	69.91	69.91	-	81.24	81.24	-	99.42	99.42
कुल (1)	**3,175.51**	**14,351.36**	**17,526.87**	**3,917.91**	**16,616.82**	**20,534.73**	**5,714.77**	**19,542.62**	**25,257.39**	**6,251.51**	**22,058.68**	**28,310.19**	**7,791.99**	**24,222.90**	**32,014.89**
पूंजीगत व्यय															
पूंजीगत परिव्यय	3,410.74	15.43	3,426.17	3,989.86	511.81	4,501.67	4,203.29	1,015.19	5,218.48	3,845.01	186.09	4,031.10	1,018.17	4,354.17	5,372.34
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	25.92	259.58	285.50	20.44	311.87	332.31	615.76	213.93	829.69	538.5	183.37	721.87	262.86	364.21	627.07
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	–	840.92	840.92	–	1,291.84	1,291.84	-	2,745.97	2,745.97	–	3,971.08	3,971.08	-	4,037.14	4,037.14
आकस्मिक निधि	–	–	–	–	–	-	-	-	-	–	190	190	-	167.52	167.52
कुल	**3,436.66**	**1,115.93**	**4,552.59**	**4,010.30**	**2,115.52**	**6,125.82**	**4,819.05**	**3,975.09**	**8,749.14**	**4,383.51**	**4,530.54**	**8,914.05**	**1,281.03**	**8,923.04**	**10,204.07**
सकल योग	**6,612.17**	**15,467.29**	**22,079.46**	**7,928.21**	**18,732.34**	**26,660.55**	**10,533.82**	**23,517.71**	**34,051.53**	**10,635.02**	**26,589.22**	**37,224.24**	**9,073.02**	**33,145.94**	**42,218.96**

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान राज्य बजट में से पी.आर.आईज तथा यू.एल.बीज को आबंटित राशि **तालिका 2** में दी गई है।

तालिका 2: 2007-12 की अवधि के दौरान पी.आर.आईज तथा यू.एल.बीज को आबंटन की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

संवितरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नगर निगम एवं नगर पालिकाएं	103.22	464.45	306.24	291.43	894.67
जिला परिषदे एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएं	93.88	412.16	366.26	267.83	722.40
कुल	**197.10**	**876.61**	**672.5**	**559.26**	**1,617.07**

1.4 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 (2) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त किया गया है। सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 13[1] के अंतर्गत हरियाणा सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. संचालित करता है। 49 स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 19(3)[2] तथा 20(1)[3] के अंतर्गत की जाती है, के संबंध में सी.ए.जी. एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। इसके अतिरिक्त, सी.ए.जी. उन 207 अन्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भी सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14[4] के अंतर्गत करता है जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में निधिबद्ध किया जाता है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के सिद्धांत तथा पद्धतियां सी.ए.जी. द्वारा 2007 में जारी लेखा तथा लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षण मानकों (मार्च 2002) एवं विनियमनों में निर्धारित किए गए हैं।

1.5 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, किए गए व्यय, गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आन्तरिक नियंत्रणों के निर्धारण तथा स्टेकहोल्डर्स की चिन्ताओं पर आधारित विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्त निकायों तथा स्कीमों/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिमों के निर्धारण के साथ शुरू होती है। इस कवायद में पिछले लेखापरीक्षा परिणामों पर भी विचार किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन यूनिट/विभाग के अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं। यूनिटों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर लेखापरीक्षा परिणामों के उत्तर प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाता है। जब-जब उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

---

1 (i) राज्य की समेकित निधि से सभी लेन-देनों, (ii) आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देनों, तथा (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखाओं, तुलन-पत्र तथा अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

2 संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित अथवा बनाए गए कानून के अंतर्गत निगमों (कंपनियां न होने पर) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

3 ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जिन पर सी.ए.जी. तथा सरकार के मध्य सहमति हो, राज्यपाल के आग्रह पर किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

4 राज्य की समेकित निधि से अनुदानों या ऋणों द्वारा भरपूर निधिकृत निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्यय तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा, जहां ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुदान या ऋण दिए गए हैं।

2011-12 के दौरान 6,127 लेखापरीक्षा इकाइयों में से 1,414 इकाइयों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा करने के लिए तथा तीन विभागों, एक बोर्ड, एक जिले[5] तथा विभिन्न विभागों से आवेष्टित ''भूमि का अधिग्रहण एवं आबंटन'' शीर्षक पर निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए 7,698 पार्टी-दिवसों[6] का उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा योजना ने उन इकाइयों/संस्थानों को आवृत्त किया जो हमारे निर्धारण के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों से असुरक्षित थे।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

प्रतिवेदन में सम्मिलित हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा, सिंचाई विभाग, भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यचालन, तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्यविधि, विषयपरक लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा संपादन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश निम्नानुसार दिया गया है:

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षाएं

1.6.1.1 हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड

भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार तथा सेवाशर्तों का नियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण उपकरण अधिनियम, 1996 भारत सरकार द्वारा रोजगार और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मियों की सेवा शर्तों के नियमन के विचार से बनाया गया था। हरियाणा भवन और अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड (बोर्ड) और अधिनियमों के प्रावधानों का कार्यान्वन त्रुटिपूर्ण था। हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार और सेवाशर्तों का नियमन) नियम, 2005 के बारे अधिसूचना जारी करने, हरियाणा भवन और अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड और सलाहकार समिति के गठन में नौ वर्ष का विलंब था। 2007-12 के दौरान ₹ 634.71 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरूद्ध केवल ₹ 15.11 करोड़ का व्यय किया गया। छः जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंडलों द्वारा एकत्रित ₹ 1.50 करोड़ की राशि का उपकर बोर्ड के पास जमा नहीं करवाया गया। निर्माण कर्मियों के नियोक्ताओं के रूप में ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए पहल एवं पंजीकृत कर्मियों की सदस्यता के नवीनीकरण के लिए अभिप्रेरण का अभाव था। बोर्ड द्वारा प्रतिपादित सांविधिक स्कीमों जैसे पैंशन, पारिवारिक पैंशन, अयोग्यता पैंशन इत्यादि तथा कुछ विशिष्ट स्कीमें जैसे निर्माण कर्मियों और छात्रों के लिए निशुल्क यात्रा सुविधाएं, चिरकालिक रोगों की आवृति का कार्यान्वन नहीं किया गया। बोर्ड में स्टाफ की भारी कमी थी जो कि अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वन के लिए अपर्याप्त थी। राज्य स्तर पर मानिटरिंग पर्याप्त नहीं थी क्योंकि वार्षिक रिर्टनें बोर्ड द्वारा सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई। बोर्ड में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.1)

---

[5] जिला लेखापरीक्षा के परिणाम एकल प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए जाने हैं।

[6] सामान्य क्षेत्र: पार्टी-दिवस-948 (लेखापरीक्षित इकाई: 116), आर्थिक क्षेत्र: पार्टी-दिवस-2,721 (लेखापरीक्षित इकाई: 228) तथा सामाजिक क्षेत्र: पार्टी-दिवस-4,029 (लेखापरीक्षित इकाई: 1,070)।

1.6.1.2 सिंचाई विभाग का कार्यचालन

सिंचाई विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा ने योजना का अभाव, सिंचाई के अंतर्गत आवृत क्षेत्र के उद्देश्यों की अप्राप्ति, स्कीमों का धीमा और सुस्त कार्यान्वयन इत्यादि प्रकट किया। राज्य में 29.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर संभाव्य सिंचाई के सृजन के विरूद्ध संभाव्य सिंचाई की उपयोगिता 21.13 लाख हैक्टेयर थी। यमुना नदी के साथ बाढ़ बचाव कार्यो की स्कीम को संशोधित करने में देरी के कारण राज्य सरकार ₹ 83.40 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में विफल रही। हथनी कुंड बैराज की लागत को अन्तिम रूप देने में मामला केन्द्रीय जल आयोग को देरी से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप सदस्य राज्यों से ₹ 122.52 करोड़ की राशि के अंश अप्राप्त रहे। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के पैटर्न पर विभाग द्वारा निविदा शुल्क संशोधित न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। दादुपुर–नलवी सिंचाई परियोजना, जिस पर ₹ 126.11 करोड़ खर्च किए गए, किसानों के विरोध के कारण अकार्यान्वित रही क्योंकि उन्हें पानी केवल वर्षा के मौसम में उपलब्ध होगा जब उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं थी। नहरों की क्षमता बढ़ाने के लिए खर्च किए गए ₹ 13.11 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि सिंचित क्षेत्र नहीं बढ़ा था। 26 क्यूसिस मलजल और बहिस्राव जल पश्चिमी जमुना नहर में छोड़ने के परिणामस्वरूप इससे आगे प्रदूषण हुआ। विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारियों से शेषों को सुनिश्चित करने बारे कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी, इसके परिणामस्वरूप उनके पास ₹ 4.92 करोड़ अवरूद्ध पड़े रहे।

(अनुच्छेद 2.2)

1.6.1.3 भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन

भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन की निष्पादन लेखापरीक्षा से नियोजन, भूमि के अधिग्रहण, व्यक्तियों, ट्रस्टों, भवन–निर्माताओं को अनुचित पक्षपात पहुंचाकर अधिग्रहण की प्रक्रिया से भूमि अनियमित ढंग से रिलीज करने, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, इत्यादि में कमियां ध्यान में आई। इसके अतिरिक्त, नियम एवं शर्तो के उल्लंघन में भूमि बेचने की अनुमति प्रदान करने का एक मामला था। ₹ 6.49 करोड़ राशि की भूमि क्षतिपूर्ति 12 व्यक्तियों को भुगतान कर दी गई जो कि भूमि के स्वामी नहीं थे, जबकि 15 व्यक्तियों को ₹ 1.55 करोड़ उनकी हकदारी से अधिक भुगतान कर दिए गए। निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखने के परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। वर्धित भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 5.19 करोड़ के ब्याज का अपरिहार्य भुगतान किया गया। अतिरिक्त महा–अधिवक्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में वर्धित भूमि क्षतिपूर्ति को कम न करने से संबंधित अनधिकृत पक्ष लेने के कारण, सरकार को ₹ 40.62 करोड़ की वसूली छोड़नी पड़ी। बाह्य विकास शुल्कों की वसूली की निगरानी हेतु हुडा के संपदा कार्यालयों द्वारा उचित यंत्रावली विकसित नहीं की गई, जबकि भूमि के रिलीज के मामलों में ₹ 167 करोड़ की धनराशि की बड़ी वसूली आवेष्टित थी।

(अनुच्छेद 2.3)

1.6.1.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा से कुछ सीमा तक स्थिरता एवं सुनिश्चित आय के साथ कर्मियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार प्रकट हुआ। तथापि, वेतनों के विलंबित भुगतान, जाली (मस्टर रोल) तैयार करने, वेतन के दोहरे भुगतान इत्यादि के कई मामले थे। जी.ओ.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम में ₹ 10.06 करोड़ की राशि के वेतन में अन्तर में राज्य सरकार अंशदायी नहीं थी जिसके कारण भारी संख्या में लाभार्थी स्कीम के लाभों से वंचित थे। केवल 23 से 42 प्रतिशत जॉब कार्डधारकों को रोजगार प्रदान किया गया था जिसमें से केवल एक से पांच प्रतिशत को 100 दिन के लिए गारंटीशुदा रोजगार प्रदान किया गया। दो गांवों में ₹ 2.60 लाख की राशि के वेतन के भुगतान से आवेष्टित कार्मिकों की काल्पनिक नियुक्ति देखी गई। 25 मामलों में कटिंग, ओवर राइटिंग, मिटाने इत्यादि के माध्यम से मस्टररोलज की छेड़छाड़ और 11 मामलों में मस्टररोज में बैंक खाता संख्या दर्ज न करने, मस्टररोल और एम.आई.एस. रिपोर्टों में लाभार्थियों के नामों का असंयोजन, एम.आई.एस. में मस्टररोल या संख्या दर्ज न करने इत्यादि जैसी विभिन्न त्रुटियां लेखापरीक्षा में देखी गई। ₹ 138.92 लाख की राशि मिट्टी की सड़कों पर खर्च की गई जो न तो टिकाऊ और न ही सभी मौसमों में अभिगम्य थी। ₹ 81.45 लाख का व्यय 19 तालाबों की खुदाई और गहरा करने में किया गया जो बिना पानी के थे। 16 जी.पीज द्वारा पेवर ब्लॉक गलियों की सीमेंट कंक्रीट/अन्त:पाश पर ₹ 80.15 लाख व्यय किए गए जो अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत नहीं था। वन विभाग ने वन्यकरण पर ₹ 23.82 लाख की राशि व्यय की थी परंतु निरीक्षण के दौरान अपर उपायुक्त, अंबाला ने पाया कि कोई पौधारोपण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.4)

1.6.2 विषयपरक लेखापरीक्षा

मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुख्य संसदीय सचिवों तथा संसदीय सचिवों द्वारा संस्वीकृत ₹ 12.97 करोड़ की राशि के ऐच्छिक अनुदान उन्हीं संस्थाओं को बार-बार निर्मुक्त किए गए थे। ₹ 1.93 करोड़ के बाईस अनुदान, नीति मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत न आने वाले प्रयोजनों हेतु निर्मुक्त किए गए थे। 23 मामलों में, ₹ 1.62 करोड़ के अनुदान, कार्यो जिनके लिए ये संस्वीकृत किए गए थे, से अन्य के लिए प्रयुक्त किए गए थे। ₹ 1.60 करोड़ के सोलह अनुदान पूर्णत: प्रयुक्त नहीं किए गए थे। 89 प्रतिशत मामलों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.1)

नगरों/शहरों के इर्द-गिर्द अनधिकृत कालोनियों का अव्यवस्थित विकास था। अनधिकृत कालोनियों को नियंत्रित करने हेतु अधिनियमों एवं नियमों में वर्तमान प्रावधान, विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों द्वारा लागू नहीं किए जा रहे थे क्योंकि भूमि के बिक्री विलेख पंजीकृत किए जा रहे थे। जल आपूर्ति एवं विद्युत कनैक्शन, टी.सी.पी.डी./एम.सीज से एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना निर्मुक्त किए गए थे। पुलिस विभाग ने भी, अनधिकृत कालोनियों का अव्यवस्थित विकास रोकने हेतु नियमों में यथा प्रावधानित कार्यवाही नहीं की थी।

(अनुच्छेद 3.2)

लाभग्राहियों के दोषपूर्ण चिन्हीकरण के परिणामस्वरूप अपात्र व्यक्तियों को ₹ 16.73 करोड़ की राशि के बुढ़ापा सम्मान भत्ते का भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.3)

जेल तथा पुलिस विभागों के मध्य समन्वय की कमी के कारण 2007 – 11 के दौरान पैरोल/फरलो पर निर्मुक्त 68 कैदी मुक्त रहे, जिनमें से 49 घिनौने अपराधों में संलिप्त थे। 28 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट 11 से 224 दिनों के विलंब के बाद दर्ज की गई थी तथा 31 मामलों में ₹ 85.50 लाख के श्योरिटी बोंड्स जब्त नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.4)

1.6.3 लेन – देनों की लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन ने विवेचनात्मक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कमियों पर प्रकाश डाला जिन्होंने सरकारी विभागों तथा संगठनों के प्रभावी कार्य – कलापों को प्रभावित किया। इन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

- नियमों का अननुपालन।
- औचित्य लेखापरीक्षा/अनुचित व्यय।
- निरीक्षण/अभिशासन की विफलता।

1.6.3.1 नियमों की अननुपालना

दुरूस्त वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजनों तथा छल – प्रपंचों को रोकता है बल्कि उपयुक्त वित्तीय अनुशासन के अनुरक्षण में भी मदद करता है। इस प्रतिवेदन में ₹ 230.58 करोड़ से आवेष्टित नियमों की अननुपालना के दृष्टांत समाविष्ट हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिए गए हैं:

वाहनों तथा ड्राईविंग लाइसैंसों के पंजीकरण प्रमाण – पत्रों के जारी करने पर उद्गृहीत सेवा प्रभारों की प्राप्तियों एवं जमा के संबंध में आंतरिक नियंत्रण न होने से जिला रैड क्रास सोसाइटी, मेवात, नूंह में ₹ 18.46 लाख का गबन हुआ।

(अनुच्छेद 4.1.1(क))

वित्तीय नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडलों, पानीपत तथा मोहिन्द्रगढ़ के कार्यकारी अभियंता/उप – मंडल अभियंता, की विफलता ने जल एवं सीवरेज प्रभारों के संग्रहण एवं जमा से ₹ 10.30 लाख के गबन को सुगम बना दिया।

(अनुच्छेद 4.1.1(ख))

घग्गर जल सेवाएं मंडल, पंचकूला में नींव से खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग कौशल्या डैम के तटबंधों में न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.1.2)

शिक्षा, श्रम, बागवानी, नवीकरण ऊर्जा तथा परिवहन विभागों ने बजटीय आबंटनों के रूप में ₹ 228.38 करोड़ की निधियां आहरित की तथा उन्हें अनियमित ढंग से समितियों को हस्तांतरित कर दिया जिन्होंने इन निधियों को सरकारी खातों से बाहर रखा जिसके परिणामस्वरूप न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ बल्कि इससे सरकारी खाते भी गलत हो गए।

(अनुच्छेद 4.1.3)

1.6.3.2 औचित्य लेखापरीक्षा/अनुचित व्यय

लेखापरीक्षा ने ₹ 14.33 करोड़ से आवेष्टित अनौचित्यपूर्ण तथा अधिक व्यय के दृष्टांतों का पता लगाया, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

हरियाणा विधान सभा के पन्द्रह सदस्यों ने उसी अवधि, जिसके दौरान उन्होंने मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए ₹ 23.20 लाख का दावा किया था, के लिए यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किए। छब्बीस सदस्यों को एक ही वित्तीय वर्ष में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ दो बार दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 50.73 लाख का अधिक भुगतान हुआ। चौबीस विधान सभा सदस्यों तथा उनके परिवारों ने एक ही वर्ष में एक से अधिक बार यात्राएं कीं तथा एक से अधिक बार की गई यात्राओं के लिए ₹ 47.61 लाख आहरित किए।

(अनुच्छेद 4.2.1)

न्याय प्रशासन विभाग द्वारा बिना वर्कलोड के आकलन और बिना आवेदन मांगने के विधि अधिकारियों को काम पर रखे जाने से ₹ 2.22 करोड़ का बेवजह भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.2)

प्रोविंसियल मंडल 1, रोहतक तथा हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड द्वारा सड़क के एक ही हिस्से को चौड़ा करने और संवर्द्धन करने पर व्यय करने से ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.3)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ ने कम लागत वाली निम्न कार्बन वाली गल्वेनाइज्ड केज टाईप वी वायर वाऊंड (एल.सी.जी.) स्क्रीनों के स्थान पर उच्च लागत वाली लोहे के केज टाईप वी वायर वाऊंड (एस.एस.) स्क्रीनें खरीदीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 89 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.4)

कैथल और कुरूक्षेत्र के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों ने भारतीय खाद्य निगम के लिए चमक रहित गेंहूं का प्रापण किया जिस वजह से उन्हें मिलने वाली धन वापसी राशि में से ₹ 1.46 करोड़ की कटौती की गई जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को हानि उठानी पड़ी।

(अनुच्छेद 4.2.5)

परिवहन विभाग द्वारा आपसी सहमति से निर्धारित कीमतों पर विचार किए बिना टाटा कंपनी की 337 बस चैसियों की खरीद करने से ₹ 2.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.6)

1.6.3.3 निरीक्षण/अभिशासन की विफलता

स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास एवं मूलभूत संरचना, जन सेवा इत्यादि के उन्नयन के क्षेत्रों में कुछ लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में लोगों के जीवन की गुणवत्ता का सुधार करना सरकार का दायित्व है। लेखापरीक्षा ने तथापि कुछ ऐसे दृष्टांत देखे जहां समुदाय के लाभ हेतु जन परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सरकार द्वारा जारी की गई ₹ 197.64 करोड़ की निधियां अनिश्चितता, प्रशासनिक निरीक्षण की कमी तथा विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्रवाई के कारण अप्रयुक्त/अवरूद्ध रही तथा/या निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुई। कुछ मामले नीचे उल्लिखित है।

उत्कर्ष संस्था द्वारा मानीटरिंग के अभाव से एजुसैट कार्यक्रम के अधीन ₹ 90.59 करोड़ व्यय करके प्रतिष्ठापित 56 प्रतिशत टर्मिनल अक्रियाशील रहे। सोसायटी द्वारा स्थलों की पहचान न करने से इसरो से ₹ 0.69 करोड़ के उपकरण प्राप्त नहीं हुए। आगे, आर.ओ.टीज की मरम्मत के लिए रखी गई ₹ 0.61 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.1)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निधियों को सरकारी खाते में जमा न कराने से ₹ 1.30 करोड़ के ब्याज की हानि हुई, इसके अतिरिक्त, बैंक में ब्याज अर्जित न करने वाले खाते में निधियां रखने के कारण ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की अतिरिक्त हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.3.2)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल 1, कैथल द्वारा अपशिष्ट जल के निस्तारण के लिए बिना उचित प्रबंध किए, पुण्डरी कस्बे में बाढ़ जल अपवाहिका तथा पंप हाउस के निर्माण पर किया गया ₹ 1.55 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(अनुच्छेद 4.3.3)

राष्ट्रीय राजमार्ग - I के साथ ट्रंक सीवर डालने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना, कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल अंबाला कैंट ने अंबाला शहर में सीवरेज स्कीम पर कार्य आरंभ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.4)

क्षेत्रीय परिस्थितियों तथा निर्माण कार्य की व्याप्ति का आकलन किए प्रोविंसियल मंडल, यमुनानगर ने जिला सैनिक विश्राम गृह का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसके परिणामस्वरूप भवन अधूरा रह गया, जिससे ₹ 88.89 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.5)

बसों को चलाने के लिए स्टाफ की व्यवस्था किए बिना परिवहन विभाग ने जवाहरलाल नेहरू शहर नवीनीकरण मिशन की शहरी बस सेवा स्कीम के अधीन फरीदाबाद डिपो के लिए 102 बसें खरीदीं जिसके परिणामस्वरूप उनका 53 प्रतिशत तक अपेक्षा से कम उपयोग हुआ, इसके अतिरिक्त मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई।

(अनुच्छेद 4.3.6)

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पंचकूला, करनाल, पानीपत तथा रोहतक में चार एग्रो मॉल का निर्माण उनकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टों तथा ड्राइंग्स को अन्तिम रूप दिए बिना आरंभ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ये भवन अधूरे रह गए, जिससे ₹ 132.52 करोड़ का अवरोधन हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.7)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पांच निर्माण कार्य मंडलों द्वारा ठेकेदारों को मजदूरी उपकर की वापसी के परिणामस्वरूप ₹ 63.62 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचा।

(अनुच्छेद 4.3.8)

1.6.4 सरकारी विभाग की सी.सी.ओ. आधारित लेखापरीक्षा

तकनीकी शिक्षा विभाग

तकनीकी शिक्षा विभाग, उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सैक्टरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर को सम्मिलित करते हुए अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानवशक्ति प्रदान करता है। विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा ने स्कीमों की प्लानिंग, वित्तीय प्रबंध तथा कार्यान्वयन में त्रुटियां प्रकट की। कक्षाओं, छात्रावासों, डिस्पेन्सरियों आदि हेतु अपर्याप्त मूलभूत संरचना थी। पॉलीटैक्निकों द्वारा तुरन्त आवश्यकता के बिना आहरित ₹ 14.53 करोड़ सरकारी लेखे से बाहर रहे। चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कालेज, पन्नीवाला मोटा को दी गई ₹ 12.22 करोड़ की अनुदान सहायता अव्ययित रही। एस.सी. विद्यार्थियों को ₹ 17.17 लाख का अनुरक्षण भत्ता उनकी हकदारी के आधिक्य में दिया गया था। फैकल्टी विकास कार्यक्रम के लिए प्रदान की गई ₹ 3.09 करोड़ की समग्र निधियां अतिथि अध्यापकों को वेतन के भुगतान के प्रति विपथित की गई थी। एस.सी. विद्यार्थियों को ए.आई.ई.ई.ई. तथा डी.ई.टी. परीक्षा के प्रवेश के लिए प्री-एडमिशन प्रशिक्षण के लिए ₹ 15.88 करोड़ का भुगतान उचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना निर्मुक्त कर दिया गया था। विभाग द्वारा अल्प मानीटरिंग ने अनेक चूकें सुसाधित की जिससे सर्विस प्रदाता को लाभ हुआ। विभाग ने बंद हुए व्यावसायिक संस्थाओं के टीचिंग स्टाफ की सेवाएं उपयोग करने के लिए कोई प्लान तैयार नहीं की थी

जबकि 2009 – 12 के दौरान तीन पोलीटैक्नीक्स द्वारा उनको ₹ 1.03 करोड़ राशि का वेतन दिया गया।

(अनुच्छेद 5.1)

1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

सरकारी विभागों के लेखाओं की नमूना – लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई वसूलियों से आवेष्टित लेखापरीक्षा परिणाम आगे जांच के लिए लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागों/राज्य सरकार को संदर्भित किए गए थे तथा अधिक भुगतानों/अतिरिक्त भुगतान के मामले में उनकी वसूली लेखापरीक्षा को सूचना के अधीन की जानी अपेक्षित है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), सिंचाई विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 2011 – 12 के दौरान 10 मामलों में ₹ 1.38 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

1.8 लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया में कमी

1.8.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अगले उच्चत्तर प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आरज) जारी करते हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और छः सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की प्रत्याशा की जाती है। छः माह से अधिक लम्बित आई.आरज की अर्ध – वार्षिक रिपोर्ट लम्बित आई.आरज में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भी भेजी जाती हैं।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विभिन्न कार्यालयों के मार्च 2012 तक जारी किए गए आई.आरज की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 3,632.59 करोड़ ***(परिशिष्ट 1.1)*** के धन मूल्य वाले 422 आई.आरज के 1,154 अनुच्छेद 30 जून 2012 को बकाया थे। इनमें से 124 आई.आरज से आवेष्टित 186 अनुच्छेद पांच वर्षो से अधिक पुराने थे। इन आई.आरज, जिनका 30 जून 2012 तक समाधान नहीं किया गया था, के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी – वार विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में इंगित किए गए हैं।

विभाग के प्रशासनिक सचिव, जिन्हें अर्ध – वार्षिक रिपोर्टो के माध्यम से स्थिति की सूचना दी गई थी, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफल रहे। मामले क्रमशः जुलाई तथा अगस्त 2012 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) को भेजे गए थे।

1.8.2 प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वर्ष 2011-12 से संबंधित प्रारूप अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मार्च तथा सितम्बर 2012 के मध्य संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को छ: सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रियाएं भेजने के आग्रह के साथ अर्ध-सरकारी तौर पर अग्रेषित किए गए थे। इस प्रतिवेदन में शामिल की गई चार निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में से चार तथा 25 विषयपरक/संपादन अनुच्छेदों में से 22 के विभागीय उत्तर प्राप्त किए गए हैं। उत्तर, जब-जब प्राप्त हुए, उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

1.8.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ए.आरज) में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात की परवाह किए बगैर कि क्या ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं, स्वत: सकारात्मक एवं निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी अपेक्षित थी। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को ए.आरज के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांची गई विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी भी अपेक्षित थी।

31 मार्च 2012 को समाप्त अवधि तक के ए.आरज में शामिल किए गए अनुच्छेदों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों (ए.टी.एनज) की प्राप्ति के संबंध में स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि 2006-07, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 की अवधि के ए.आरज राज्य विधान-मंडल को प्रस्तुत[7] किए गए थे। इन ए.आरज में शामिल किए गए 27 प्रशासनिक विभागों के 84 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 18 प्रशासनिक विभागों के मामले में 46 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर ए.टी.एनज ***परिशिष्ट 1.3*** में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

प्रशासनिक विभागों अर्थात लोक निर्माण (भवन एवं सड़क शाखा), सिंचाई जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर एवं ग्राम आयोजना तथा गृह ने 46 अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से 25 के संबंध में ए.टी.एनज प्रस्तुत नहीं किए। ए.टी.एनज प्रस्तुत करने वाले प्रशासनिक विभागों में से नौ प्रशासनिक विभागों ने ***परिशिष्ट 1.4*** में दिए गए विवरणों के अनुसार 14 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में ₹ 208.03 करोड़ की कुल राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

आगे, लोक लेखा समिति की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1970-71 से 2005-06 तथा 2007-08 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 373 सिफारिशें ***परिशिष्ट 1.5*** में दिए गए विवरणों के अनुसार संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अन्तिम कार्रवाई की अब तक प्रतीक्षा कर रही थी।

---

[7] लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07: मार्च 2008, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-09: मार्च 2010, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10: मार्च 2011 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11: फरवरी 2012